कार्यालय नगर पालिक निगम ,रायपुर (छ.ग.)

निविदा सूचना

क्रमांक / 102 / स्वा.वि. / 2016 रायपुर दिनांक 13 / 10 / 2016

नगर पालिक निगम रायपुर के अंतर्गत सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु व्यक्ति / सोसायटी / स्व सहायता समूह / ठेकेदार सील बंद लिफाफा में दर आमंत्रित किये जाते हैं। आमंत्रित दर सीमित अवधि की होगी , निविदा पत्रक क्रय के पूर्व निविदाकार को निगम की शर्तों का पालन करना होगा । संपूर्ण जानकारी कार्यालयीन समयावधि में स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त की जायेगी एवं रायपुर नगर निगम की वेबसाईट www.nagarnigamraipur.com पर प्राप्त की जा सकती है।

क्र.	कार्य का नाम	संख्या	अनुमानित व्यय एवं अवधि	अमानती राशि एफ. डी.आर. के रूप में	निविदा फार्म शुल्क डिमांड ड्राफ्ट	निविदा फार्म प्राप्ति की अंतिम तिथि	निविदा फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	सफाई कामगार	100 सफाई कामगार	2,40,000 / — 10 दिवस	24,000 / — रू.	1000 / — रू.	26.10. 2016 सायंकाल 5.00 बजे तक	27.10. 2016 सायंकाल 3.00 बजे तक	27.10.2016 सायंकाल 4. 00 बजे तक

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय स्वास्थ्य विभाग नगर पालिक निगम, रायपुर

नियम व शर्ते

1. मुख्यालय में 100 कर्मचारी कार्य हेतु निविदा दर देना होगा । ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को सामाग्री , संशाधन एवं ड्रेस कोड उपलब्ध कराया जावेगा।
2. कर्मचारी कम से कम 8 घंटे एक साथ एक ही पाली में अथवा जैसा उन्हें निर्देशित किया जायेगा कार्य करना होगा।
3. कर्मचारी की आयु 18 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। कम अथवा अधिक उम्र के कर्मचारी नहीं रखे जा सकेंगे। ऐसे कर्मचारी जिनका कार्य असंतोष जनक होगा, ऐसे 10 प्रतिशत कर्मचारी को बदलने का अधिकार नगर निगम को होगा एवं ठेकेदार को ऐसे कर्मचारी बदलकर नया कर्मचारी उपलब्ध कराना होगा।
4. कर्मचारियों की संख्या कम होने पर जितने कर्मचारी कम होंगे ,उतनी मात्रा में कलेक्टर दर पर दिये जाने वाले भुगतान की राशि प्रतिदिन के हिसाब से काटी जायेगी,किसी भी दिन 10 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी अनुपस्थित रहने पर उस दिन के कुल देयक का 10 प्रतिशत राशि ठेकेदार के देयक से जुर्माना के रूप में कटौती की जायेगी।
5. ठेकेदार के द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों की उपस्थिति वहां कार्यरत से प्राप्त करेंगे ,कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति दिन में दो बार प्रातः 6:00 बजे एवं दोपहर 2:00 बजे ली जायेगी तथा दोनों समय की उपस्थिति के पश्चात् ही कर्मचारी को पूरे दिन उपस्थित माना जायेगा,दोपहर की उपस्थिति के समय अनुपस्थित रहने पर पूरे दिन का वेतन काटने की कार्यवाही ठेकेदार की देय राशि में किया जायेगा।
6. कर्मचारियों के द्वारा किये जाने वाले कार्य का सत्यापन नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा किया एवं कर्मचारियों का कार्यस्थल पर उपस्थित सामाग्री की उपलब्धता एवं कार्य की गुणवत्ता पर टीप लिखी जायेगी जिसके आधार पर देयक का भुगतान किया जायेगा।
7. नगर निगम एवं अनुबंधकर्ता के बीच किसी प्रकार विवाद होने की स्थिति में नगर निगम आयुक्त का निर्णय अंतिम माना जायेगा।
8. निविदा की न्यूनतम दर स्वीकृत होने की दशा में अन्य निविदाकार चाहे तो उक्त दर पर कर्मचारी उपलब्ध करा सकेंगे अथवा नगर निगम चाहे तो उक्त न्यूनतम दर पर किसी अन्य निविदाकार से उसकी सहमति से कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु आदेश दे सकेगा।
9. ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये कर्मचारी ठेकेदार के कर्मचारी होंगे तथा वे इस आधार पर कि उन्होंने नगर निगम रायपुर में कार्य किया है भविष्य में कभी भी नगर निगम की सेवा में रखे जाने के अधिकारी नहीं होंगे और न ही उपरोक्त आधार पर इसकी मांग कर सकेंगे ।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
रायपुर